

**कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बैनामा करने के आरोप में 01
नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2026 धारा 419,420, 467,468,471,120बी भादवि0 से संबंधित अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र स्व0 बुद्धू को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.02.2024 को वादिनी के ससुर के मृत्यु के पश्चात अभियुक्त द्वारा वादिनी के ससुर के नाम का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन का बैनामा करने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामप्रसाद पुत्र स्व0 बुद्धू निवासी राजी एकला न0.1 थाना गुलरिहा वर्तमान पता हरनईया टोला, जंगल डुमरी न0.1 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 244/2026 धारा 419,420, 467,468,471,120बी भा0द0सं0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अजय थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. रि0का0 निहाल सोनी व थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. रि0कां0 अजय कुमार यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर